नयी बीज अनुज्ञप्ति हेतु
जाँच पत्र

बीज (नियंत्रण) 1983 की धारा (1) और 7 (2) के अनुसार बीजों के विक्रय, निर्यात या आयात करने हेतु आवेदन की शर्तें–

Online आवेदन समर्पित करने हेतु आवश्यक कागजात का विवरण	पृष्ठ सं0	स्थिति
1. बीज अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन **Online** उपलब्ध प्रपत्र मे सभी आवश्यक सूचनाओ को अंकित करना अनिवार्य है।		
2. कम्पनी/प्रतिष्ठान से Authorisation Certificate एवं आवेदक के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड/भोटर कार्ड/पेन कार्ड की प्रति देना अनिवार्य है।		
3. आवेदन शुल्क रू0 1000/– (एक हजार रूपये) कोषागार चालान के रूप में संलग्न करना होगा।		
4. आवेदन के प्रकार (proprietary/partnership/Limited Company/Hindu undivided family/ co-operative) के अनुसार इससे संबंधित कागजात जमा करना अनिवार्य होगा।		
5. राज्य में प्रतिष्ठान के द्वारा जिन फसल प्रभेद का व्यवसाय किया जायेगा उसकी सूची ब्रीडर प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।		
6. राज्य के लिए अधिसूचित बीजो के अलावे अन्य बीजो/स्वयं के विकसित बीज प्रभेद के व्यवसाय हेतु R&D प्रमाण पत्र के साथ प्रभेदवार उपयुक्ता प्रमाण पत्र हेतु ब्रीडर प्रमाण पत्र एवं राज्य के कृषि विश्वविधालयों/सक्षम संस्थान से कराये गये तीन वर्ष का Trial Report संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
7. आवेदन में दिये गये कार्यालय एवं गोदाम के स्थल पता के प्रमाण के रूप में किरायानामा, लीज पत्र या जमीन का रसीद से संबंधित कागजात समर्पित करना अनिवार्य है।		
8. बीज प्राप्ति श्रोत में स्वयं का उत्पादित होने पर बीज उत्पादन से संबंधित प्रमाणीकरण एजेन्सी का प्रमाण पत्र, प्रोसेसिंग यूनिट प्रमाण पत्र के साथ बीज उत्पादन से संबंधित आधार बीज प्राप्ति श्रोत एवं मात्रा से संबंधित कागजात एवं फसलवार उत्पादन से संबंधित सूचना संलग्न करना होगा।		
9. बीज प्राप्ति अगर प्रतिष्ठान द्वारा MOU के माध्यम से किसी कम्पनी से किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बीज उत्पादित करने वाले प्रतिष्ठान का बीज उत्पादन से संबंधित R&D प्रमाण पत्र एवं फसलवार, प्रभेदवार बीज की सूची एवं राज्य के लिए उपयुक्ता प्रमाण पत्र हेतु ब्रीडर प्रमाण पत्र एवं राज्य के कृषि विश्वविधालयो/सक्षम संस्थान से कराये गये तीन वर्ष का Trial Report संलग्न करना अनिवार्य होगा।		
10. स्वयं के विकसित/MOU के माध्यम से बिक्री किये जाने वाले धान एवं मक्का के हाइब्रीड प्रभेदों का DNA Finger Printing Lab के माध्यम से Standardization कराना अनिवार्य होगा।		
11. शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य है। जिसमें निम्न बिन्दुओं को शपथ पत्र में अंकित करना होगा– i. मेरे प्रतिष्ठान के विरुद्व विगत तीन वर्षों के अन्दर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (10 का 1955) के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ii. मेरे प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति पूर्व मे विगत एक वर्ष के अन्दर निलम्बन मे नही रहा है। iii. मेरे प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति विगत एक वर्ष के अन्दर रद्द नही किया गया है। iv. मेरे प्रतिष्ठान के द्वारा राज्य के लिए अधिसूचित बीजो के अलावे अन्य बीजो/स्वयं के विकसित बीज प्रभेद के व्यवसाय हेतु R&D प्रमाण पत्र के साथ प्रभेदवार उपयुक्ता प्रमाण पत्र हेतु ब्रीडर प्रमाण पत्र एवं राज्य के कृषि विश्वविधालयो/सक्षम संस्थान से कराये गये तीन वर्ष का Trial Report संलग्न कर रहा हूँ। v. आवेदन के साथ संलग्न बीज प्रभेदों के अलावे अन्य किसी प्रकार के बीजो का व्यवसाय नहीं करेंगे।		

vi.प्रतिष्ठान के द्वारा बिक्री किए गए बीज मे किसी प्रकार की खराबी आती है तो इसके लिए प्रतिष्ठान जबावदेह होगा तथा जाँचोपरान्त दोषी सिद्ध होने की स्थिति में किसानो को खराब बीज आपूर्ति के कारण हुए नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार क्षतिपूर्ति मुआवजा देने के लिए तैयार रहेगा। vii. बीज अधिनियम में निहित सभी शर्तों का पूर्ण रुप से पालन करेंगे। viii.वांछनीय उपरोक्त सभी कागजात अपलोड का स्व–अभिप्रमाणित कर डाक/ हाँथों–हाँथ जमा करा दिया गया है। अपूर्ण/गलत कागजात उपलब्ध कराने पर बिना कारण पुछे हीं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। 12. आवेदन के साथ अपलोड उपरोक्त सभी वांछनीय कागजात प्रतिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्वप्रमाणित कर डाक/ हाँथों–हाँथ सात दिनो के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गत कर्ता के कार्यालय मे जमा करना अनिवार्य होगा । **स्थल जाँच–** • कंडिका 1 से 12 में वर्णित सभी बिन्दुओं से संबंधित वांछित कागजात प्राप्त होने के पश्चात ही बीज अनुज्ञप्ति हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर कार्यालय एवं गोदाम का स्थल जाँच हेतु पत्र निर्गत किया जायेगा। • पूर्ण कागजात समर्पित नहीं करने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।		